FROM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

ललित बनाम गंवरसिंह

किस्म मुकदमा – पत्थरगढ़ी नं. 13/2021 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख की तामील में जारी हुए
10/2/2021	प्रार्थी की ओर से वकील श्री प्रार्थी स्वयं ललित नाई ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत् इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा जलखेड़ी पटवार मण्डल लोठियाना तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 296/5 रकबा 0.4320हे. रकबा 0.4320 हैक्टर/बीघा भूमि स्वयं की खातेदारी/संयुक्त खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह नही है। तथा विपक्षीगण आराजी के पड़ौसी है प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता है इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराई जावे। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, बहस सुनी गई। प्राथी जैर बहस आराजी का खातेदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को रू. 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त मे दखल दिये मौजा जलखेड़ी पटवार मण्डल लोठियाना तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 296/5 रकबा 0.4320हे. रकबा/बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी मुक्ममल तौर पर की जावें। उक्त आशय का हुक्म [illegible] तहसीलदार डूंगला को जारी हो। पत्रावली पालना [illegible] दिनांक 15/4/2021 तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत [illegible] पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्ध पत्रावली [illegible] फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी डूंगला	

Signature Not Verified
Digitally signed by Purshotam Meena
Date: 2021.02.11 17:26:39 IST
Reason: SelfAttested